Form-II

(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun, Uttarakhand
****

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 0.8886 **hectares** of forest clearance proposed to be diverted in favour of Uttarakhand Tourism Development Board (UTDB), Department of Tourism Government of Uttarakhand for the Development of George Everest Heritage Park (George Everest House, Laboratory and others) at Mussoorie District, Dehradun, Uttarakhand.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.8886 **Hectares** of forest clearance propose. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Rights Committee (s.) Gram Sabha/Nagar Palika Prishad (S), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **(Page N0 -------)** to annexure **(Page N0 --------).**

(b) The proposed for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each fo concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the comensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details fo proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ----------- villages (s) is enclosed as annexure ---- to annexure-----------

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Governmetn as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) of the FRA.

Encl.: As above.

जिलाधिकारी
देहरादून

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

OFFCIE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT Nainital (U.K)

Proceding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest dwellers (recognition of rights act (FCA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. S.A. MURUGESHAN deputy commissioner Dehradun on date 12-10-18 at time 10:00AM at 12:00PM in which application claiming rights in Forest area measuring 0.8886 hect for tourists facilities under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of S.D.M. sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place: .

Dated...12-10-18

Deputuy Commissioner cum Chairman
District Level Committee

जिलाधिकारी
देहरादून

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद देहरादून (उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु स्वयं की भूमि पर जो पार्क इस्टेट मसूरी उत्तर प्रदेश राजकीय गजट नोटिफिकेशन संख्या 3061/XIV-B-394-60 दिनांक 21.04.1966 में दी गयी सूची कमाक 89 पर दर्ज है। पर्यटको की सुविधा एवं विकास के लिए परियोजना के निर्माण हेतु 0.8886 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पर्यटन को बढावा देने हेतु कार्य किये जाने है। जिस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति देहरादून तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओ/ नगर पालिका सदस्य द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जन जाति व वन वासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जन जाति/वन वासी के वनो पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिलाधिकारी, देहरादून
जिलाधिकारी,
देहरादून उत्तराखण्ड।

परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव।

कार्यालय उपजिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति.

उपखण्ड मसूरी .परिक्षेत्र के अन्तर्गत पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा स्वयं की भूमि 0.8886 है0, आरक्षित वन भूमि ....x.....है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि .x..है0 वन पंचायत भूमि , अर्थात कुल 0.8886है0 वनभूमि का .....x........ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील..............) की दिनाक 11.10.18को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....
उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यो की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री मनुज लाल... पटवाल...........उपजिलाधिकारी .... अध्यक्ष
2. श्री ...के० पी० वर्मा...............उप प्रभागीय वनाधिकारी ....सदस्य
3. श्रीमति शान्तल बेदवाल........ सहायक समाज कल्याण अधिकारी ....सदस्य / सचिव
4. श्री.......................... बी0डी0सी क्षेत्र.......................... सदस्य

उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून मसूरी वन प्रभाग

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यो का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया । ग्राम सभा/नगर क्षेत्र के अन्तर्गत वनाधिकारी का कोई मामला लम्बित नही है । उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

संबन्धित उप सचिव प्रभागीय वनाधिकारी अनुसुचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करतें हुए जानकारी से माननीय सदस्यो को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी देवदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इस संबन्ध में ग्राम सभा /पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है । अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मसूरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु 0.8886 है0 भूमि पर्यटन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर अनापति दिये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

SDM (Mussoorie) 11/10/18

उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष
तहसील –
जनपद– उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी, जिला - देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रतिलिपि : – जिलाधिकारी देहरादून को सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु

उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष
तहसील –
जनपद–
उप जिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट मसूरी, जिला - देहरादून (उत्तराखण्ड)

कार्य का नाम : उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र नगर पालिका परिषद् तहसील– मसूरी, जनपद देहरादून।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव आम जनता/ग्रामीण एवं यात्रियों की सुविधार्थ हेतु 0.8836 है0 भूमि मे पर्यटन विकास परिषद देहरादून के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

उक्त प्रकरण के विषय में नगर पालिका परिषद मसूरी, जनपद देहरादून को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य न किये जाने तथा इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन न होने के दृष्टिगत उक्त 0.8836 है0 वन भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् मसूरी, जनपद देहरादून को परियोजना के निर्माण हेतु किये जाने वाले कार्यों से कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

प्रभारी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, मसूरी

प्रशासक
नगर पालिका परिषद, मसूरी
नगर पालिका परिषद
मसूरी, जनपद देहरादून

अभियन्ता
नगर पालिका परिषद
मसूरी

कार्य का नाम : उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव।

ग्राम समिति का सहमति पत्र

ग्राम पंचायत हाथी पॉव द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि "उत्तराखण्ड पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम" के अन्तर्गत उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून, मसूरी के पार्क एस्टेट (जार्ज एवरेस्ट हाउस, प्रयोगशाला एवं अन्य) का पर्यटन विकास हेतु प्रस्ताव आम जनता/ग्रामीण एवं यात्रियों की सुविधार्थ मौजुदा इमारत के सुदृढीकरण एवं सौंन्दर्यीकरण एवं अन्य पर्यटन विकास के कार्यो से क्षेत्रीय जनता एवं आम जनमानस के लिए लाभकारी सिद्व होगा। जिससे सभी ग्राम वासियों को कोई आपत्ति नही है।

क्र सं	सदस्य /ग्रामीणों का नाम एवं ग्राम	हस्ताक्षर
1.	सत्यराम S/o स्व० शंकर. ग्रा.पं. हाथी पाँव	[illegible]
2.	सुनीता देवी	सुनीता देवी
3.	[illegible] राणा	[illegible] राणा
4.	सरोज चौहान	सरोज चौहान
5.	[illegible]	[illegible]
6.	बाला देवी	बाला देवी
7.	जयेन्द्र सिंह	जयेन्द्र सिंह
8.	सवीता	सवीता
9.	गोविंद	गोविंद
10	रवि	रवि
11	विरेन्दर राणा	विरेन्दर राणा
12	[illegible] रौतेला	[illegible]
13	सुनिल मिश्रवाण	सरोज मिश्रवाण
14	सरोज	सुनिल
15	श्याम लाल	[illegible]
16	मुन्नी देवी	मुन्नी देवी